सहायक कलक्टर
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

07/03/2025 पक्षकारान उपस्थित हैं।

प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC स्वीकार किया जाता है वाद वादी खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

सही

सहायक कलक्टर (फा०ट्र०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बलाई

वाद संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
140 / 2021	09.03.2021	07.03.2025

बउनवान

1. बर्फी उर्फ महेन्द्री पुत्री जोरिया उम्र करीब 68 वर्ष गूर्जर निवासी अलीपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 हाल पत्नी श्री तेजसिंह निवासी भिवाडी तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
2. भुतेरी पुत्री भोरिया उम्र करीब 62 साल जाति गुर्जर निवासी अलीपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 हाल पत्नी श्री मुख्त्यारसिंह निवासी मॅगलेशर तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा।
3. सन्तोष पुत्री जोरिया उम्र करीब 60 साल जाति गुर्जर निवासी अलीपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 हाल पत्नी श्री प्रकाश निवासी पूछकर मोहल्ला मेन रोड भिवाडी तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
4. ममता पुत्री जोरिया उम्र करीब 55 साल जाति गुर्जर निवासी अलीपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 हाल पत्नी श्री सतवीर निवासी कसोला तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा।
5. अजीत पुत्र भोती पुत्री जोरिया उम्र करीब साल जाति गुर्जर निवासी अलीपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 हाल निवासी मंगलेशर मजारी तहसील बावल जिला रेवाडी हरि0।
6. हरिओम पुत्र भोती पुत्री जोरिया उम्र करीब साल जाति गुर्जर निवासी अलीपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 हाल निवासी मंगलेशर मजारी तहसील बावल जिला रेवाडी हरि0।
7. ममता पुत्री भोती पुत्री जोरिया उम्र करीब साल जाति गुर्जर निवासी अलीपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 हाल पत्नी श्री सरजीत निवासी बिस्सर पो0 अकबरपुर नूँह जिला नूँह मेवात हरियाणा।

– : अप्रार्थी / वादी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. मीना उर्फ बीना बेवाह कृष्ण कुमार जाति गुर्जर निवासी अलीपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 हाल पुर्न विवाह पत्नी शीतेश पुत्र अमरसिंह जाति गुर्जर

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

निवासी अलीपुर तहसील मुण्डावर हाल पुर्नः विवाह पत्नी रितेश पुत्र अमरसिंह जाति गुर्जर निवासी कसोला तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा।

3. सविता देवी पत्नी सुबेसिंह जाति गुर्जर निवासी अलीपुर की ढाणी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. सोनू देवी पत्नी कैलाशचन्द जाति गुर्जर निवासी अलीपुर की ढाणी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
5. साधूराम पुत्र जालिम जाति गुर्जर निवासी अलीपुर की ढाणी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: असल प्रतिवादीगण/प्रार्थी

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11
व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

प्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 03 लगायत 05 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व सहपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसका सार निम्न प्रकार से है कि :—

1. यह है कि वादीयागण ने एक राजस्व वाद आराजी मुतनाजा वाद के पैरा सं0 1 में दर्ज के बाबत इस आश्य का पेश किया कि विवादित आराजी वादीयागण के पिता व नाना जोरिया के कब्जें काश्त एवं खातेदारील की रही है और जोरिया के कोई पुत्र जीवित नहीं होने से कृष्ण कुमार पोते के ना दर्ज हो गयी इसलिये आराजी वादीगण की दादालायी हो गयी जिसमें वादीगण को जन्म से अधिकार हांसिल है। वादीयागण ने उपरोक्त अभिवचनों के खिलाफ वाद के पैरा सं0 6 में बताया है कि कृष्ण कुमार के नाम जोरिया ने दिनांक 04/09/2021 को रजिस्टर्ड बैयनामा कराया था आराजी प्रकाश वगैराह की थी एवं वादीगण ने बैयनामा दिनांक 04/09/2001 को नल एण्ड वाईड करार दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है।
2. यह है कि आराजी मुतनाजा वादीयागण की स्वीकारोक्ति के अनुसार एवं रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 04/09/2001 के अनुसार आराजी मुतनाजा कृष्ण कुमार की खरीद शुदा रही है। कृष्ण कुमार की खरीद शुदा आराजी में वादीयागण एवं तरप्रतिवादी को कोई अधिकार सृजित नहीं होते है आराजी मुतनाजा वादीयागण के पिता व नाना की खातेदारी में कभी नहीं रही है इसलिये जब आराजी मुतनाजा जोरिया की खातेदारी में नहीं रही तो वादीयागण का आराजी मुतनाजा में अधिकार किस विधि या कानून के अर्न्तगत सृजित होते है वाद में स्पष्ट नहीं किया वादीगण कृष्ण कुमार की स्वअर्जित सम्पति में किसी भी प्रकार से हितबद्ध व्यक्ति नहीं है। जबकि प्रतिवादी सं0 2 मीना देवी पत्नी कृष्ण कुमार आराजी को धारण करने के लिये हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार प्रथम वर्ग की उत्तराधिकारी है। मीना

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

देवी पूर्ण स्वामी है जबकि वादीयागण कृष्ण कुमार की आराजी के बाबत किसी भी वर्ग के उत्तराधिकारी नहीं होने से कोई अधिकार नहीं रखे है जब वादीयागण वाद की विषयवस्तु में विधिक रूप से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई हक हकूक सृजित होना प्रथम दृष्टया नहीं पाया जावे तो वाद दायरी के लिये कोई वाद हेतूक पैदा नहीं होता है ऐसे निराधार, भ्रामक, अतार्किक, विधि के प्रावधानो के दायरे के बहार विरोधाभासी अभिवचनों के सहारे वाद की विरचना करते हुये केवल प्रतिपक्ष को तंग परेशान करने उसके हितो को प्रभावित करने के लिये तुच्छ प्रकृति का पेश किया गया वाद हो तो उसे प्रारम्भ में ही बिना समय जाया किये दबा देना चाहिये इसलिये वादीयागण का वाद काबिल खारिज है।

3. यह है कि वादीया ने बैयनामा दिनांक 04/09/2001 को अपने अधिकारों के खिलाफ बातिल व बेअसर करार लिाने का अनुतोष चाहा कि वाद में विवादित आराजी अतरसिंह वगैरा से तबादला खानदानी आराजी का करते हुये बैयनामा कृष्ण के नाम जोरिया ने कराया था और प्रतिवादी सं0 2 ने कृष्ण कुमार की बैयनामा से प्राप्त आराजी का इंतकाल धोखे व चालाकी से अपने नाम करा लेना बताया है तो जो दस्तावेज धोखे व चालाकी से कराया हो तो उसे नल एण्ड वाईड करार नहीं दिलाया जा सकता है उक्त दस्तावेज को सिविल न्यायालय से निरस्त कराना होगा कि अमुख व्यक्ति ने किस प्रकार व किसी विधि का उल्लंघन करते हुये दस्तावेज कूटरचित किया या कराया है इसलिये वाद विचारण का क्षेत्राधिकार श्रीमान राजस्व न्यायालय को नहीं होकर श्रीमान सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार है इसलिये वादीयागण का वाद काबिल खारिज है।

4. यह है कि बैयनामा दिनांक 04/09/2001 को चुनौती दी गयी है वादीयागण को इसकी जानकारी शुरू से रही है इसलिये दावा बेरून मियाद है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी के तहत अनुतोष चाहा गया है कि –

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीयागण का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

अप्रार्थी/वादी को प्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 03 लगायत 05 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की नकल दिलाई गई। अप्रार्थी/वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र बाबत जबाव प्रस्तुत किया गया जो निम्न प्रकार से है कि:–

1. यह है कि पैरा स0 1 सही है स्वीकार है।
2. यह है कि पैरा स0 2 गलत है स्वीकार नही है प्रतिवादीगण ने उक्त वाद में देरी करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया है जबकि उक्त आराजी मिन वादीगण की दादालाई आराजी है। और उक्त वाद

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

में मिन प्रार्थीगण के हक में प्रार्थना पत्र खरीददार के खिलाफ ऑडर 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 स्वीकार कर निर्णित अदालत श्रीमान द्वारा हो चुकी है। जबकि उक्त आदेश के खिलाफ प्रतिवादीगण को आर. ए.ए.0 अलवर में अपील दायर करनी चाहिए थी। लेकिन प्रतिवादीगण उक्त वाद में देरी करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो काबिल खारिज है।

3. यह है कि पैरा स0 3 गलत है स्वीकार नही है प्रतिवादीगण ने मिथ्या तथ्यो व मनघंडत कहानी बनाकर यह प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया है जो बिना आधार हीन होने के कारण काबिल खारिज है। जबकि बेचान कर्ता बिना ने दुसरा विवाह कर लिया है। इसलिए अपने पूर्व पति/ससुर की दादालाई आराजी में बिना का कोई अधिकार नही है। यदि बिना उक्त आराजी का बेचान करती है तो वो कानून के खिलाफ है। जबकि दौराने दावा स्थगन आदेश का उल्घन करते हुये बैयनामा कराया है जो कानूनी गलत है। से समस्त तथ्य वाद में निर्णित होगे। प्रार्थना पत्र के आधार पर किसी दावे को खारिज नही किया जा सकता है। वाद का निणर्य साक्ष्य व सबुत लेने के बाद दावा निर्णय होता है। साथ ही उक्त वाद राजस्व वाद है जो अदालत श्रीमान को सुनने योग्य है।

4. यह है कि पैरा स0 4 गलत है स्वीकार नही है वादीगण ने प्रतिवादीगण को काथित दिनांक को कोई चुनोती नही दी है। मिथ्या तथ्यो के आधार पर प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज है। खारिज फरमाया जावे।

अतः श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 जा0 दी0 पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज फरमाया जावे। श्रीमान की महति कृपा होगी।

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 05 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में बहस में कथन कहे कि अप्रार्थी/वादी ने अपने वाद पत्र में अवगत कराया गया है कि विवादित आराजी अप्रार्थी/वादी की दादालाई आराजी है। जिसमें अप्रार्थी/वादी का भी हिस्सा है। जबकी विवादित आराजी प्रार्थी/प्रतिवादी के पिता/पति कृष्ण ने प्रकाश, अत्तर सिंह पुत्रान लीला व प्रभाती पुत्र अमर सिंह व परसन्दी बेवाह सोहन स्वयं व सरपरस्त अनूप उम्र करीब 2 साल नाबालिग पुत्र सोहन व धर्मपाल उम्र पुत्र सोहन जाति गुर्जर निवासी अलीपुर से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 04.09.2001 को क्रय की हुई है। कृष्ण की स्वअर्जित आराजी है। विवादित आराजी दादालाई आराजी नही है। जोरिया का पुत्र बिल्लू, बिल्लू का पुत्र कृष्ण है। कृष्ण जोरिया का पौत्र है। अप्रार्थी/वादी ने

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

अपने वाद के समर्थन में ऐसा कोई दस्तोवजात/साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिससे की विवादित आराजी दादालाई साबित होती हो। अप्रार्थी/वादी प्रार्थी/प्रतिवादी के दादा की बहन है। यदी अप्रार्थी/वादी द्वारा कोई अनुतोष लेना था तो वह अपने पिता/भाई से प्राप्त किये जाने की अधिकार रखती थी ना की अपने भाई के पौत्र से। बैयनामा दिनांक 04.09.2001 को यदी अप्रार्थी/वादी नल एण्ड वाईड करवाना चाहते है तो माननीय सिविल न्यायालय में वाद दायर करना था ना की राजस्व न्यायालय में। श्रीमान न्यायालय को किसी बैयनामा को नल एण्ड वाईड करार दिये जाने का अधिकार नही है यह केवल माननीय सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के पास होता है। प्रार्थना पत्र के जबाव में अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थी/प्रतिवादी के कथनो का खण्डन नही किया गया। अप्रार्थी/वादी ने केवल प्रतिवादीगणों को परेशान करने की नियत से ही यह वाद दायर किया गया है। अप्रार्थी/वादी का यह वाद मिथ्या/बनावटी कहानी द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यदी अप्रार्थी/वादी द्वारा अपना वाद को साबित करना था तो विवादित आराजी के साबिक रिकोर्ड में जोरिया के खातेदार होने बाबत कोई भी दस्तावेजात/साक्ष्य प्रस्तुत करना था। प्रार्थी के उक्त कृत्य से यह प्रतीत होता है कि वादी के वाद में कोज ऑफ एक्शन स्पष्ट नही है। कोज ऑफ एक्शन स्पष्ट नही होने के कारण प्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 03 लगायत 05 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व सहपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी को स्वीकार करते हुए वादी के वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जावें। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 5 ने दौराने बहस DNJ 2018 Part 14 H.C. Page 1663, DNJ 2017 Part 1 Page 1, RRT 2016 Page 535, RRD 2023 Part 2 Page 954, RRT 2023 Part 2 Page 926 नजीर प्रस्तुत की गई।

अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी के जबाव प्रार्थना पत्र के समर्थन में अधिवक्ता ने बहस में कथन कहे कि विवादित आराजी जोरिया की स्वअर्जित है। जोरिया की अप्रार्थी/वादी विधिक वारिसान है। प्रतिवादीगण ने मिथ्या तथ्यो व मनघंडत कहानी बनाकर यह प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया है जो बिना आधार हीन होने के कारण काबिल खारिज है। जबकि बेचान कर्ता बिना ने दुसरा विवाह कर लिया है। इसलिए अपने पूर्व पति/ससुर की दादालाई आराजी में बिना का कोई अधिकार नही है। यदि बिना उक्त आराजी का बेचान करती है तो वो कानून के खिलाफ है। जबकि दौराने दावा स्थगन आदेश का उल्घन करते हुये बैयनामा कराया है जो कानूनी गलत है। से समस्त तथ्य वाद में निर्णित होगे। माननीय सर्वोचय न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के विभिन्न पत्रावलीयो में निर्णय पारित करते हुए आदेशित किया जाता है कि किसी भी वाद को आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी में खारिज नही करते

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

हुए पत्रावली के गुणावगुण पर ही निस्तारण किया जाना न्यायउचित है। प्रार्थना पत्र के आधार पर किसी दावे को खारिज नही किया जा सकता है। उक्त वाद राजस्व वाद है जो अदालत श्रीमान को सुनने योग्य है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सहपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी को भारी से भारी कोस्ट पर खारिज किया जावें।

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 05 के प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी/वादी के जबाव का अवलोकन व विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि अप्रार्थी/वादी ने अपने मूल के वाद पत्र के समर्थन में कोई ऐसा दस्तावेजात/साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजी जोरिया की रही हो। दस्तावेजात/साक्ष्य के आभाव में अप्रार्थी/वादी का कोज ऑफ एक्शन उत्पन्न होना स्पष्ट नही होता है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 05 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर बहस पर चस्पा होती है। इसलिए प्रार्थी/प्रतिवादी सख्या 01 लगायत 03 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 मय सपठित 151 जाप्ता दीवानी को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 05 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 मय सपठित 151 जाप्ता दीवानी को स्वीकार जाकर अप्रार्थी/वादी का वाद को खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 07.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0